सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 30, गुरूवार, *शाके* 1947- अगस्त 21, 2025
Sravana 30, Thursday, Saka 1947- August 21, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-12) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, **अगस्त 20**, 2025

संख्या प.9(5)गृह-12/कारा/2025 :-राज्य सरकार कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 9) की धारा 3 की उप-धारा (1) एवं राजस्थान कारागार नियम, 2022 के नियम-3 के उप-नियम (1) के खण्ड (जेडई) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सारणी के कॉलम संख्या 2 में वर्णित उप-कारागृहों को उनके सामने कॉलम संख्या 3 के अनुसार जिला कारागृह के रूप में एतद्द्वारा घोषित करती हैः-

क्र.सं.	उप-कारागृह	जिला कारागृह
1.	उप कारागृह, बालोतरा	जिला कारागृह, बालोतरा
2.	उप कारागृह, ब्यावर	जिला कारागृह, ब्यावर
3.	उप कारागृह, डीग	जिला कारागृह, डीग
4.	उप कारागृह, डीडवाना	जिला कारागृह, डीडवाना-कुचामन
5.	उप कारागृह, कोटपुतली	जिला कारागृह, कोटपुतली-बहरोड
6.	उप कारागृह, फलौदी	जिला कारागृह, फलौदी
7.	उप कारागृह, सलुम्बर	जिला कारागृह, सलुम्बर

राज्यपाल की आज्ञा से,
अनुराधा गोगिया,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।